Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to provide compensation to farmers who lost their crops due to heavy rainfall in Rajasthan.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए मुझे आपका संरक्षण चाहिए । चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान में किसानों की फसल बर्बाद हुई है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संरक्षण किसी को ज्यादा बोलने के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण विषय के लिए है ।

श्री सी.पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, इस विषय में आपका संरक्षण इसलिए चाहिए, क्योंकि राजस्थान की सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है और किसानों के प्रति भेदभाव कर रही है, इसलिए आपका संरक्षण चाहिए ।

महोदय, पिछले कार्यकाल में जब राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा राजे जी मुख्य मंत्री थी, तो उस समय भी फसल खराब हुई थी, लेकिन उस समय तीन दिनों तक विधान सभा स्थगित की गयी और हम सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में गए थे । 50 परसेंट फसल खराबी का जो नियम था, पहली बार उसको घटाकर 33 परसेंट किया गया और करोड़ों रुपये किसानों के खातों में भारत सरकार, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से गए । अभी चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में एक दिन में ही 8 से 10 इंच बारिश हुई । प्रतापगढ़ में 125 इंच तक बारिश हुई, जो कि कल्पना से परे है । वहां किसानों के खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उन किसानों को राहत पहुंचाई जाए । अभी राज्य सरकार ने किसानों की मांग के ऊपर गिरदावरी शुरू की है, लेकिन ऊपर से अधिकारियों को निर्देश है कि गिरदावरी में 30-32 परसेंट से ज्यादा फसल की खराबी नहीं दिखानी है, जब कि फसल की खराबी 80 परसेंट से ज्यादा हुई है ।

महोदय, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है । पहले भी भारत सरकार की टीम आई और अध्ययन करके गई । वहां वास्तव में जो फसल की खराबी हुई है, उसका अध्ययन करके किसानों की फसल खराबी का पैसा दिलाया जाए । महोदय, वहां अफीम के किसान भी हैं । उनकी फसल खराबी के कारण भी मार्फिन पूरी नहीं बैठ पाई । मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हैं, हमने भी उनसे आग्रह किया है । अगर इसमें कमी होगी, तो निश्चित रूप से किसानों के हित में फैसला नहीं होगा । यही आग्रह मैं अपनी ओर से करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: श्री दुष्यंत सिंह को श्री सी.पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है । जिन माननीय सदस्यों को इस सप्ताह के अंदर शून्य काल में अतिरिक्त समय बिना लिस्टेड दिया गया है, उनका नंबर अगले सप्ताह के शून्य काल में नहीं आएगा, जब तक कि बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट नहीं हो । यदि बहुत अर्जेंट सब्जेक्ट होगा, तो उनका नंबर आ जाएगा और यदि जनरल विषय होगा, तो नहीं आएगा । न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए ।